

बिहार सरकार,
कृषि विभाग,

पत्र संख्या-3/कृ०बजट०प्राक्कलन-01/14-4277 /कृ०, पटना, दिनांक 15-09-2014
प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Tax/Mail

सेवा में,

संयुक्त सचिव, (प्रभारी प्रशाखा-04), कृषि विभाग, बिहार, पटना/नियंत्रक राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष, 2015-16 का बजट-प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष, 2014-15 का पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजने के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश।

प्रसंग :- वित्त विभाग का पत्रांक-804 दिनांक-01.09.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र द्वारा सामान्य दिशा-निर्देश भेजे हुए बजट-प्राक्कलन की मांग की गई है। सामान्य दिशा-निर्देश निम्न प्रकार है जिसका अनुपालन आवश्यक है :-

1. वित्तीय वर्ष, 2015-16 के बजट प्राक्कलन :- विभागों द्वारा गत तीन वर्षों के वास्तविक व्यय एवं अन्य विश्वस्त कारकों को ध्यान में रखकर बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना है। बजट को वास्तविक परक बनाया जाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि उतनी ही राशि का बजट में प्रावधान कराया जाना चाहिए जितनी राशि व्यय होना संभावित है। किसी भी उपशीर्ष में राशि प्रावधान करने के समय यह देखने की आवश्यकता है कि पूर्व के वर्षों में उन उपशीर्षों पर कितनी राशि व्यय हुई है। और बचत कितनी है। राशि बचत नहीं हो, ऐसा ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के आधार पर ही बजट प्राक्कलन उक्त उपशीर्ष में किया जाना है।

2. कार्यरत बल के लिए वेतन एवं जीवन यापन भत्ता :- स्थापना के लिए राशि का आकलन कार्यरत बल के आधार पर किया जाय। वेतन में मार्च से जून तक के लिए वर्तमान वेतन और जुलाई से फरवरी तक के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को जोड़कर गणना की जाए। जीवन यापन भत्ता वर्तमान में 100 प्रतिशत दिया जा रहा है, एवं वित्तीय वर्ष, 2014-15 में 102 प्रतिशत तक का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष, 2015-16 के लिए जीवन यापन भत्ता की गणना वेतन के 118 प्रतिशत पर की जाय। मकान किराया भत्ता की गणना वेतन पर देय निर्धारित प्रतिशत के आधार पर की जाए। परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं विशेष वेतन के लिए निर्धारित दर के अनुसार प्रावधान रखा जाना है। अन्य भत्ते जो कर्मियों/पदाधिकारियों को दिए जाते हैं उसे अन्य भत्ते नामक विषय शीर्ष में सम्मिलित किया जाना है। पुनरीक्षित वेतनमान के कारण किस उपशीर्ष में कितनी बकाया राशि का भुगतान होना है इसकी गणना प्रत्येक उपशीर्ष से भुगतान होने वाली राशि को वास्तविक आधार पर करनी होगी और वर्ष, 2015-16 के लिए बताना होगा कि कितनी राशि बकाए के रूप में उक्त वर्ष भुगतान करनी है। स्थापना से भिन्न व्यय को वित्तीय वर्ष, 2014-15 के स्तर या उससे आवश्यकतानुसार कम से कम पर रखा जाय। अगर किसी कारण अधिक राशि अपेक्षित है तो उसका विस्तृत औचित्य अभ्युक्ति कॉलम (प्रपत्र-I) में अवश्य स्पष्ट किया जाय।

3. गाड़ियाँ, दूरभाष, मोबाईल, वर्दीधारी कर्मियों की सूचना :- जिस उपशीर्ष में वाहनों के ईंधन/रख-रखाव, दूरभाष, मोबाईल पर व्यय हेतु राशि की आवश्यकता हो, उक्त उपशीर्ष में कितनी गाड़ियाँ, दूरभाष, मोबाईल प्रयुक्त हो रहे हैं, इसकी सूचना अंकित की जाय (प्रपत्र I)। इसी प्रकार वर्दीधारी कर्मियों की संख्या भी अंकित की जाय।

4. स्वीकृत एवं कार्यरत बल की सूची :- प्रत्येक कोटि के स्वीकृत एवं कार्यरत बल की संख्या संलग्न कर (प्रपत्र-II) भेजी जाय। प्रशासी विभाग के अधीन सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतन ब्यौरा संबंधित विवरणी (प्रपत्र IV) में सूचना दी जाय। प्रत्येक संस्थान के लिए अलग-अलग कर्मियों का नाम, पदनाम, वेतनमान, मूलवेतन, विशेष वेतन, जीवन यापन भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता वर्ष में कुल परिलब्धियों के अनुसार वास्तविक बजट-प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराया जाए।

